भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 452

उत्तर देने की तारीखः 06.12.2023

ओबीसी क्रीमी लेयर की वार्षिक आय सीमा का पुनरीक्षण

452. **श्री राम नाथ ठाकुरः**
श्री सुभाष चन्द्र बोस पिल्लीः

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) ने ओबीसी क्रीमी लेयर की वार्षिक आय सीमा को संशोधित करने के लिए कोई प्रतिवेदन भेजा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रतिवेदन कब भेजा गया था और उसकी तथ्यात्मक स्थिति क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि ओबीसी क्रीमी लेयर की वार्षिक आय सीमा का आखिरी बार सितंबर 2017 में पुनरीक्षण किया गया था;

(घ) क्या यह भी सच है कि फरवरी 1993 के अपने प्रतिवेदन में विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई सिफ़ारिशों के अनुसार, मुद्रास्फीति और क्रीमी लेयर की आय लागत को ध्यान में रखते हुए इस सीमा का हर तीन साल में कम से कम एक बार पुनरीक्षण किया जाना चाहिए; और

(ड.) यदि हां, तो ओबीसी क्रीमी लेयर की आय सीमा का समय पर पुनरीक्षण न करने का क्या कारण है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(सुश्री प्रतिमा भौमिक)

(क) से (ड.): जी, हां। विभाग को ओबीसी क्रीमी लेयर की वार्षिक आय सीमा में संशोधन के लिए एनसीबीसी की रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है तथा तदानुसार, दिनांक 13.09.2017 को क्रीमी लेयर की आय सीमा को 6 लाख रुपए से बढ़ा कर 8 लाख रुपए कर दिया गया है। वर्तमान में ओबीसी की गैर-क्रीमी लेयर के संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****